मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल दिनांक 17.12.18

क्र. एफ 44-13/2017/20-2

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,मध्यप्रदेश
3. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी
4. समस्त प्राचार्य हाई/हायर सेकैण्डरी स्कूल
   मध्यप्रदेश।

विषय- शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था।

संदर्भ- 1. म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्र. 44-15/20/2010/20-2 भोपाल दि 09.11.16.
2. म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्र./एफ 44-13/17/20-2 भोपाल दि. 20.07.17.
3. म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्र./एफ 44-15/20/2010/20-2 भोपाल दि 4.12.2017.
4. म.प्र.शांसन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्र./एफ 44-13/2017/20-2 भोपाल दि 7.7.2018.

-0-

राज्य शासन के संदर्भित आदेश में अतिथि शिक्षकों को रखने हेतु दिशानिर्देश उल्लेखित किये गये है। शैक्षणिक सत्र 2018-19 में स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु एन.आई.सी. के सहयोग से प्रारम्भ ऑनलाईन प्रणाली से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार लगभग 52,000 से अधिक आवेदकों ने अपनी च्वाईस के अनुसार चिन्हित विद्यालय में अपनी उपस्थिति दी है। प्रथम चरण की उक्त कार्यवाही पूर्ण होने तथा माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन दिए जाने के कारण आगामी कार्यवाही स्थगित की गयी थी । न्यायालय के दिनांक 11.10.2018 के आदेश के सन्दर्भ में निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाता है।

1. विकासखण्ड के पैनल

1.1 च्वाईस फिलिंग के समय आवेदक द्वारा 2 विकासखण्ड एवं 1 जिले का चयन किया गया है। आवेदक जिन्होने च्वाईस फिलिंग में भाग नहीं लिया है, उन आवेदकों के सत्यापनकर्ता संकुल के विकासखण्ड को आवेदक की प्राथमिकता का विकासखण्ड मानकर प्रत्येक विकासखण्ड के लिये विषय-पद के मान से पैनल जनरेट किया गया है। इस पैनल को बिना किसी पासवर्ड के देखा जा सकता है।

1.2 सर्वप्रथम इस पैनल में दर्शित आवेदको को 20 दिसम्बर तक स्कूल में उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत करने के लिए राज्य स्तर से SMS भेजा जा रहा है। gfms पोर्टल में पंजीकृत आवेदक अपना आवेदन पोर्टल जनरेटेड स्कोर कार्ड के साथ प्रस्तुत करना होगा। दिनांक 27 दिसम्बर को स्कूल स्तर पर प्राप्त आवेदनों के पैनल का अनुमोदन SMDC/SMC से बैठक में करवाकर सम्बंधित आवेदक को 21 दिसम्बर को ही सूचित कर अध्यापन हेतु आमंत्रित करे।

1.3 संबंधितो को 23 दिसम्बर तक उपस्थिति हेतु समय दिया जायेगा।

1.4 दिनांक 20 दिसम्बर तक कोई भी आवेदन प्राप्त न होने पर निम्नानुसार कार्यवाही की जाये।

2. विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र का आमंत्रण

2.1 ऐसे आवेदक जो gfms पोर्टल में पंजीकृत नहीं है, उनके आवेदन समस्त अंकसूचियों के साथ 25 दिसम्बर तक स्कूल द्वारा प्राप्त किये जा सकेंगे।

2.2 इस प्रकार से प्राप्त आवेदनों में संस्था प्रमुख द्वारा स्कोर की गणना की जायेगी। स्कोर गणना का विस्तृत विवरण समसंख्यक शासनादेश दिनांक 4.12.2017 में उल्लेखित है।

2.3 स्कूल में प्राप्त सभी आवेदनों में स्कोर के आधार पर स्कूल स्तर पर मेरिट के आधार पर तैयार पैनल का अनुमोदन एस.एम.डी.सी./एस.एम.सी. द्वारा किया जाये। पैनल को विद्यालय, ग्रामपंचायत तथा संकुल विद्यालय के सूचना पटल पर लगाया जाए। तैयार पैनल में से गुणानुक्रम में से आवेदकों को अध्यापन के लिये दिनांक 25 दिसम्बर तक आमंत्रित किया जाये।

3.अतिथि शिक्षकों की gfms पोर्टल में ऑनलाईन प्रविष्टि

उक्त निर्देशों के अनुसार चयनित अतिथि शिक्षकों की प्रविष्टि gfms पोर्टल में दिनांक 30 दिसम्बर तक पूर्ण की जाये।

4. स्कूलवार तथा विषयवार रिक्त पदों का अपडेशन

4.1 स्कूलवार तथा विषयवार रिक्त पदों पर एवं अस्थाई स्वरुप की रिक्तियों के लिए भी स्कूल स्तर पर उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही कर ले। स्कूल के स्वीकृत सेटअप (विषयमान से) के भीतर ही नियमानुसार व्यवस्था की जाये।

4.2 पोर्टल पर अपडेट करने की व्यवस्था पोर्टल पर उपलब्ध है। अस्थाई रिक्ति की संभावित अवधि भी प्रदर्शित की जानी होगी ताकि उस अवधि के लिये ही अस्थाई रिक्तियों की पूर्ति मान्य की जायेगी। समस्त संकुल प्राचार्य 20 दिसम्बर तक अद्यतन करें।

5. विषय विशेष में छूट

5.1 माध्य./हाई स्कूल में SSS2-English के पैनल में आवेदकों की संख्या कम है। माध्य./हाई स्कूल में SSS2-English के अतिरिक्त उच्च योग्यताधारी आवेदकों को SSS1-English के पैनल से रखने की अनुमति दी जाती रही है। इस प्रकार से रखे गये अतिथि शिक्षकों को SSS2 के विरुद्ध अतिथि का मानदेय ही प्राप्त होगा।

5.2 माध्यमिक शाला में नामांकन के आधार पर 4था पद संस्कृत/उर्दू का है। SSS2-Sanskrit के पैनल के अतिरिक्त जिन विद्यालयों में उर्दू के छात्र हैं उन विदयालयों में नामांकन के मान से SSS2-Sanskrit के अतिरिक्त उर्दू के पद की स्वीकृति की दशा SSS2-Urdu के आवेदक को भी अतिथि शिक्षक के रुप में रखा जाये।

5.3 कृषि संकाय में स्नातकोत्तर उपाधिधारक आवेदकों की संख्या कम होने से उ.मा.वि में कृषि संकाय में SSS1 के विरुद्ध अतिथि शिक्षक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इस स्थिति में स्नातक उपाधिधारक आवेदक को SSS2 के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के लिये आमंत्रित किया जाये। इस प्रकार से आमंत्रित अतिथि शिक्षक को SSS2 का मानदेय प्राप्त होगा।

5.4 म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र/एफ01-119/2018/20-1 दिनांक 28.08.2018 के अनुसार माध्य./हाई स्कूल में गणित विषय के लिये निर्धारित अर्हताओं में अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिकशास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयो के साथ स्नातक उपाधि होना चाहिये। अतः इंजीनियरिंग विषय से स्नातक योग्यताधारी SSS2-गणित विषय के लिये पात्र होंगे।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है, कि वे सन्दर्भित शासनादेशों में दिये गये निर्देश तथा दी गयी समयसीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करें।

17/12/18

(प्रमोद सिंह)
उप सचिव
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल दिनांक.........

पृ.क्र. एफ 44-13/2017/20-2

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन।
2. आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल।
3. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
4. कलेक्टर समस्त जिले।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले।
6. राज्य सूचनां एवं विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी. भोपाल।

17/12/18

उप सचिव
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

//लेखीराम//
17122018.